

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

नं० २६/१५

फर्द अहकाम
तारीख २३.६.१५

उतवान - रामगोपाल बनाम उम्मेदी मीना बेगम
तुमापुरा

प्रार्थनापत्र अस्थायी निवेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री राज कुमार सिंह एच. ने प्रार्थनापत्र
बत अस्थायी निवेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का
वलोकन किया गया। बकील प्रार्थी की एकतरफ बहस
की गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना
सिद्ध होता है। अप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई तिथि तक
तारिख अस्थायी निवेधाज्ञा से वाकफ किया जाता है कि
माम तुमापुरा की क्षमि ख.ज. ५३२७ रकबा ०.०१ हेक्टेरि
में एक एक् रिजार्ड की यथास्थिति बनोय रखे। प्रार्थना
पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जीरिये सम्मन से
लाव कर पत्रावली दिनांक २४.७.१५ को पेश हो।

1387-92
23-6-15


उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

२५ प्रार्थी वकील उप। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मनोज
कुमार शर्मा एच. ने क्वालतनामा पेश किया। क्वा
मसख १.१.१५ को पेश हो।

२६ पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य
सिम्पल रखा। वार/उत्तर दिनांक ३१.०.१५
को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलकत्ता

दिनांक	फर्द अहकाम
13.3.18	<p>वकुलाय उप० / जर्घी वकीलने बरस हेतु 7 दिन चाहा। सुनकर निर्देश दिये कि आगामी सुन प् आवश्यक रूपसे बरस सुनी जायेगी। को दि 20.3.18 को घेशहे।</p>
20.3.18	<p>वकुलाय उप० / बरस सुनी गई। बरस प् मन पत्रावली का इवलोन क्रिय। उपपसक ता दावा फैसला आयाई निवेदाज्ञा से पा क्रिय जाता है कि विवादित आराजीयात में जे व्यक्त जहाँ बँटा ही बँटारहे। ट्राई बीप बनोय शरेंगे। भूमि का रत्न विक्रय नहीं करे विस्तृत निर्णय पृथक्से लिखा जाक श्रा। क्रिया गया। पत्रावली फैसल शुमाट टोकरा से क्रम होकर दारिस्त दफतले।</p>


 उपखण्ड अधिकारी
 टोंडाभीम, करौली (राज०)